APP-A
Crim-I

FROM No.-III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट – तस्वारियॉं

भैरुनाथ पिता हीरानाथ जोगी
निवासी– रुपाहेली

बनाम

सोहनलाल पिता रामचन्द्र सूनार
निवासी– रुपाहेली

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 88, 92 ए रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 17/2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट तस्वारियॉं पर पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के द्वारा प्रकरण में बहस सूने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की एकतरफा बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता हीरानाथ व उसके भाई बालुनाथ के खाते की आराजीयात है। खातेदार बालुनाथ 30 वर्ष पहले लाऔलाद फौत हो चूका था, और हीरानाथ भी दिनांक 17.12.1989 को फौत हो गया है, इसी दौरान वादी मजदूरी करने बाहर चला गया था, वापस आया और अपनी जमीन पर काश्त करने गया तो प्रतिवादी संख्या– 1 ने कहा कि आराजी नम्बर– 623/4, 627/2 मैने खरीद ली है। तब वादी ने जानकारी करने पर पता चला कि उक्त आराजी फर्जी बिकाव से खरीद कर ली है। वादी के पिता ने न तो कभी उक्त आराजी विक्रय की और न ही कभी इसका प्रतिफल प्राप्त किया। वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि उस समय हीरानाथ व बालुनाथ के शामिल में दर्ज थी, इसलिये अकेले हीरानाथ को विक्रय करने का कोई अधिकार नही था, अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि के लिये वादी को खातेदार घोषित फरमाया जावें। मैनें वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 मौजा मादेडा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 618/1, 624, 624/1क, 624/1, 625, 621 किता 6 रकबा 13 बीघा भूमि हीरानाथ बालुनाथ पिता छीतर नाथ जोगी के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है, जबकि वादी के द्वारा अपने वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में विवादित भूमि आराजी नम्बर– 627/2 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 623/4 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा किता 2 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि हीरानाथ व बालुनाथ के खातेदारी	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

की होना बताया है, इस प्रकार वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी नम्बर– 627/2, 623/4 के सम्बन्ध में कोई राजस्व जमावन्दी पेश नही की है । राजस्व रिकार्ड के अभाव में यह नही माना जा सकता कि आराजी नम्बर– 627/2, 623/4 के खातेदार हीरानाथ व बालुनाथ रहे हो, साथ ही वादी के द्वारा साविक आराजी नम्बर– 627/2, 623/4 के नये नम्बर– 1365, 1375, 1389, 1719/1364 होना बताया है जबकि पत्रावली में उपलब्ध भू प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2021 के अनुसार हाल आराजी नम्बर– 1365 तो साबिक आराजी नम्बर– 623/4 से बनाया गया है जो साबिक सेटलमेन्ट में नन्दानाथ, चेनानाथ, प्रेमानाथ पिता लादूनाथ के नाम दर्ज थी, जो ए.एस.औ. के आदेश से सोहनलाल पिता रामचन्द्र सूनार के नाम दर्ज होना तथा हाल आराजी नम्बर– 1389, 1719/1364 किस साबिक नम्बर से बना है यह वादी के द्वारा स्पष्ट नही करवाया गया है।

चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 मौजा मादेडा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 1365, 1375, 1389, 1719/1364 किता 4 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि सोहन लाल पिता रामचन्द्र स्वर्णकार साकिन रुपाहेली के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा बेचान से सम्पूर्ण खाता नवदुर्गेशपाल सिंह पिता कमलसिंह राजपूत साकिन रुपाहेली हिस्सा 2/3, तेजसिंह पिता शोभाग सिंह राजपूत हिस्सा 1/3 साकिन मुरायला के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिसे बिना किसी आधार से वादी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है। समग्र रुप से वादी का वाद तथ्यहिन पाये जाने से दावा वादी खारिज योग्य है।

" निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट तस्वारिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner